धनबाद प्रभात

अस्त

रेल पार्सल से 14 लाख रुपये की सिगरेट जब्त

- अवैध तरीके से लायी गयी थी अमेरिकन कंपनी की सिगरेट

वरीय संवाददाता ▷ धनबाद

जब्त सिगरेट के साथ छापामारी टीम.

धनबाद रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम से 13.92 लाख रुपये मूल्य के 48 हजार सिगरेट के पैकेट को रेलवे सुरक्षा बल के इंटेलिजेंस विभाग (सीआइबी) ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की शाम जब्त किया. सिगरेट के प्रत्येक पैकेट की कीमत 29 रुपये बतायी जा रही है. जब्त सिगरेट अमेरिकन ब्रांड गुड टाइम्स है. इसे वाराणसी से लाया गया है. सिगरेट की यह खेप शनिवार को दोपहर 53524 डाउन वाराणसी-बरकाकाना पैसेंजर के पार्सल वैन में लाया गया था. इसके बाद इसे पार्सल गोदाम में रखा गया था. इससे पहले कि कोई इसे वहां से ले जाता, इंटेलिजेंस ने जब्त कर लिया.

धनबाद में पहली बार पकड़ी गयी सिगरेट : रेलवे के पार्सल गोदाम में पहली बार बड़े पैमाने पर अवैध सिगरेट पकड़ी गयी है. आरपीएफ इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर एमपी दुबे ने गुप्त सूचना पर अपराह्न तीन बजे सब इंस्पेक्टर पोखराज मीणा के साथ पार्सल गोदाम पर छापामारी की. दो घंटे तक तलाशी चली. पार्सल में हर सामान के बिल का मिलान किया गया. छापेमारी से पार्सल कार्यालय में हड़कंप मच गया. अधिकतर कर्मचारी व कुली वहां से निकल लिए.

गलत नाम से मंगाया था पार्सल : शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि सिगरेट के पैकेट गलत नाम से मंगवाये गये थे. इसके साथ ही इसे दूसरे उत्पाद के नाम पर रेलवे में बुकिंग करायी थी. सभी पैकेट इस तरह से कार्टन और प्लास्टिक के सफेद बोरों में पैक किये गये थे कि किसी को शक न हो. इंस्पेक्टर एमपी दुबे ने बताया कि जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जायेगा.

पार्सल से सिगरेट भेजने पर है रोक : बता दें कि रेलवे के पार्सल में सिगरेट समेत नशा की किसी भी वस्तु की बुकिंग नहीं होती है. लेकिन इसके बाद भी अवैध तरीके से सिगरेट को बड़े पैमाने पर ट्रेनों के माध्यम से भेजा जाता है. इस छापेमारी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि धनबाद भी विदेशी सिगरेट का बड़ा बाजार है.